रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268497
CG-DL-E-15122025-268497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5575] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायाण 24, 1947
No. 5575] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5763(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, श्री आशुतोष चतुर्वेदी को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5763(E).—The President, on the recommendations of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Shri Ashutosh Chaturvedi as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of his appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5764(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, श्री पी आर रमेश को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5764(E).—The President, on the recommendations of the Committee under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Shri P R Ramesh as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of his appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5765(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार जिंदल को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न

से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5765(E).—The President, on the recommendations of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Jindal as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of his appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5766(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, श्री खुशवन्त सिंह सेठी को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5766(E).—The President, on the recommendations of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Shri Khushwant Singh Sethi as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of his appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information

Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5767(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, श्री सुरेंद्र सिंह मीना को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5767(E).—The President, on the recommendations of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Shri Surendra Singh Meena as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of his appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5768(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, श्री स्वागत दास को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5768(E).—The President, on the recommendations of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Shri Swagat Das as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of his appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5769(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, सुश्री सुधा रानी रेलांगी को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5769(E).—The President, on the recommendations of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Ms. Sudha Rani Relangi as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of her appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5770(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति, सुश्री जया वर्मा सिन्हा को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अपराह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/1/2024-आईआर II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5770(E).—The President, on the recommendations of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Ms. Jaya Varma Sinha as the Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the afternoon of 15th December, 2025.

2. The terms and conditions of her appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commission, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F. No.4/1/2024-IR II]

S D SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.15 15:40:22 +05'30'